

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क-2/05

जयपुर, दिनांक: 26.04.11

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न राज0 विविध सेवा नियमों में किये गये संशोधन की पांच (05) अधिसूचना (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक 26.04.11 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 26.04.11 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें ।

भवदीय,

(नलिनी कठोटिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 26.04.11 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है । कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को नियमों से संबंधित स्थायी मंत्रिमण्डलीय समिति की आज्ञा संख्या 06/2011-दि0-23.03.11 एवं ज्ञापन सं. प. 07(2)कार्मिक/क-2/05 दिनांक 11.11.10 के संदर्भ में ।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त सहित) ।
5. शासन सहायक सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ ।
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण) ।
5. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ ।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान सभा (अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ ।
- 3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
- 4- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
- 5- सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
- 7- रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
- 3- उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
- 5- एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6- अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में ।
- 6- गार्ड फाईल ।

शासन उप सचिव

My com/D/Ganesh/Forwrding not.-7

12/2011 (i to v)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7 (2) डीओपी/ए-II/2005

जयपुर, दिनांक : 26-4-2011

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 20-01-2006 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. संशोधन.- नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तम्भ संख्या 3 में यथोल्लिखित "परिवीक्षा की कालावधि" से संबंधित नियम का विद्यमान उप-नियम (3) हटाया जायेगा, अर्थात् :-

अनुसूची

क.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम की सं.
1.	2.	3.
1.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	34
2.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	33
3.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	28
4.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई शाखा) सेवा नियम, 1954	29
5.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954	29
6.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	29
7.	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	27
8.	राजस्थान श्रम और कल्याण सेवा नियम, 1958	27
27.	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986	30
103.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	38

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

12/2011 (1)